

FORM NO. III


फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत - उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर
किशनाराम पुत्र कानाराम जाति कुमावत
सा. लूणवां तह. नावां

बमुकाम : नावां जिला नागौर राजस्थान
देवाराम पुत्र गंगाराम जाति कुमावत वगै.
सा. लूणवां तह. नावां

किस्म कुमदमां : 212 आरटीए

मुकदमां नम्बर 086/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
17.06.2021	<p>प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश कुमावत ने इसी अनुवान के वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाता है। पत्रावली एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के हक में प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने तक अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम लूणवां के खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.93 हैक्टर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 1018 रकबा 0.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 942 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 951 रकबा 0.80 हैक्टर एवं ग्राम सिरसी के खसरा नम्बर 700/338 रकबा 0.32, खसरा नम्बर 362 रकबा 2.56 हैक्टर भूमि में बिना विधिक प्राधिकारी की अनुमति के निर्माण नहीं करें एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। इस आशय की अप्रार्थीगण विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो। रास्ते/प्रचलित रास्ते के प्राक्धान में यह अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। इस बाबत अप्रार्थीगण को आपत्ति हो तो नियत तिथि को असालतन/वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर वजह जाहिर करें। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.07.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(ब्रह्मलाल जाट) उपखण्ड अधिकारी, नावां</p>	
19/7/21	<p>उग्रपक्ष उपर। मूल वाद में Adu. की वजहलान्त विचारविधा ने क्षणार्थ सं. 5 का प की ओर से वकालतनामा पेश किया। पत्रावली वान्ते वकाया नलबी व अवक दि. 11/8/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm</p>	
11/8/21	<p>उग्रपक्ष उपर। वकाया की नलबी पेश करें। पत्रावली वान्ते नलबी क्षणार्थ सं. 5 का 8 दिनांक 8/9/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">Gm</p>	

नाम
जो
नाम
होगा

हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

11/7/22 उग्रपक्ष उपण बकाया की तलबी
पेश करने हेतु हिदायत दी गयी
मि० दि० 22/8/22 को पेश हो

Gm

22/8/22 उग्रपक्ष उपण पूर्व श्रादेश की
घातना करने हेतु हिदायत दी गयी
मि० दि० 19/10/22 को पेश हो

Gm

19/10/22

पत्रावली पेश करने के लिए बार अध्यक्ष
के द्वारा पत्रावली पेश करने का हुकम रखा
है। पत्रावली दि० 27/12/22
को पेश हो।


Sr

27/12/22 उग्रपक्ष उपण बकाया की तलबी
पेश करने हेतु अनिम हिदायत दी
गयी मि० दि० 21/2/23 को पेश हो

21/2/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित
होकर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया
कि उक्त प्रार्थना-पत्र में उग्रपक्षकाल
के मध्य राजीनामा हो गया है इसलिए
उक्त प्रार्थना-पत्र को अदिये विद्रोह
खातिज किया जाये।

अतः प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थी
का प्रार्थना-पत्र अदिये विद्रोह खातिज
किया जाता है। पत्रावली के सल शुमार
होकर नम्बर से कम हो व काबिल दफ्त
हो।

उपखण्ड अधिकारी
नावा (नागौर)



श्री. जे. किशोरराव